

न्यायालयिक विज्ञान-पुलिस का एक महत्त्वपूर्ण अभिन्न अंग

दिनेश मीणा*, पंकज कुमार पाटिल**, जय बहादुर सिंह कछावा***

शोध सार (Abstract)

अपराधी तथा पुलिस के मध्य "तू डाल-डाल में पात-पात" जैसी स्थिति दिखाई देती है। अपराधी आज कई नई तकनीकों का उपयोग अपराधों में करते हैं। अपराध कम से कम हो इसमें तो पुलिस की भूमिका अच्छी भी रहती है, लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण है कि यदि अपराध होने के पश्चात् अपराधी को शीघ्रतम न पकड़ा जाये तो आमजन में विश्वास कम हो जाता है। इसी के अंतर्गत आज के युग में न्यायालयिक विज्ञान की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती जा रही है। इस शोध पत्र में लेखक ने न्यायालयिक विज्ञान की उपयोगिता के बारे में ही बताया है, ताकि आमजन भी विज्ञान की इस शाखा से अवगत हो तथा साथ ही युवा इसे अपने रोजगार के अवसरों के रूप में भी पहचाने।

प्रस्तावना

जैसे-जैसे मनुष्य प्रगति की ओर बढ़ रहा है उसी प्रकार से अपराध की दर भी बढ़ती जा रही है। मनुष्य महत्वाकांक्षी है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वह सब कुछ करता है परन्तु जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वह अपराध करने में भी नहीं हिचकता। मनुष्य विज्ञान को वरदान के साथ-साथ अभिशाप की तरह भी इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि पुलिस में विज्ञान की सकारात्मक तथा अहम् भूमिका है। न्यायालयिक विज्ञान एक ऐसा हथियार है, जो कि पुलिस के लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है। न्यायालयिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें विभिन्न विज्ञानों के ज्ञान का उपयोग कानून के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

न्यायालयिक विज्ञान की विभिन्न शाखाये हैं, जिसमें से न्यायालयिक चिकित्सा विज्ञान, न्यायालयिक दन्त विज्ञान, अंगुली छाप, न्यायालयिक विष विज्ञान, न्यायालयिक रसायन विज्ञान, न्यायालयिक जीव विज्ञान, न्यायालयिक सीरम विज्ञान, न्यायालयिक भौतिक विज्ञान, न्यायालयिक भू-विज्ञान, न्यायालयिक मानव विज्ञान, न्यायालयिक प्राक्षेपिकी, न्यायालयिक छायाचित्रण, पर्यावरण न्यायालयिक विज्ञान, न्यायालयिक अभियांत्रिकी, न्यायालयिक कीट विज्ञान, विवादास्पद दस्तावेज, कंप्यूटर न्यायालयिक विज्ञान महत्त्वपूर्ण है।

*शोधार्थी, पूर्णमा विश्वविद्यालय जयपुर (राजस्थान), उप निरीक्षक, पुलिस थाना अबरडीन, अंडमान तथा निकोबार पुलिस।

**अपराध शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विभाग, डॉ हरी सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश, एफ.एस.एल., पोर्ट ब्लेयर, अंडमान तथा निकोबार पुलिस।

***सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जयपुर, राजस्थान।

Correspondence E-mail Id: editor@eurekajournals.com

किसी भी घटना के घटित होने पर सर्वप्रथम पुलिस को आमजन सूचना देते हैं, तत्पश्चात पुलिस घटनास्थल को सुरक्षित करती है। घटनास्थल से तात्पर्य उस स्थान से होता है जहां किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध कारित हुआ हो।

यह अपराधी, पीड़ित तथा घटनास्थल के बीच सम्बन्ध को दर्शाता है। घटनास्थल को सुरक्षित रखने के दौरान कोशिश की जाती है कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ न की जा सके तथा वह अपनी यथा स्थिति में रह सके। न्यायालयिक विज्ञान दल घटना स्थल पर पहुंचकर अन्वेषणकर्ता की सहायता, घटना स्थल की फोटोग्राफी करता है तथा घटना से सम्बंधित साक्ष्यों को इकट्ठा करने में सहायता करता है।

न्यायालयिक विज्ञान की अपराधिक अन्वेषण में उपयोगिता

न्यायालयिक विज्ञान के दल में प्रशिक्षित फोटोग्राफर होते हैं, जो कि घटना स्थल की बारीकी से फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करते हैं। गंभीर अपराधों के मामले में शव तथा उससे सम्बंधित वस्तुओं की फोटोग्राफी बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। सड़क दुर्घटना के समय वाहन के टायरों के निशान, गाड़ी पर लगे हुए खरोच के निशान, सड़क पर दुर्घटना से सम्बंधित सबूत अन्वेषण अधिकारी के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं।

घटनास्थल पर स्थित अंगुलियों के निशानों, जो कि अहम् सबूत होते हैं, को उठाने में भी न्यायालयिक विज्ञान के दल से मदद मिलती है।

दस्तावेजों से यदि छेड़छाड़ की गई है तो उसकी जानकारी के लिए भी न्यायालयिक विज्ञान विभाग से मदद मिलती है।

हत्या के मामले में किस तरह के हथियार का प्रयोग किया गया है? रक्त के धब्बे, हत्या से पहले विष आदि तो नहीं दिया गया, की जानकारी

के लिए भी न्यायालयिक विज्ञान विभाग से मदद मिलती है।

कंकाल मिलने की स्थिति में समस्त हड्डियों को इकट्ठा करने में, उससे सम्बंधित सबूत जुटाने में न्यायालयिक विज्ञान विभाग से मदद मिलती है।

यदि मृतक का शरीर क्षत-विक्षत अवस्था में मिला है, उस पर कीट लगे होने पर मृत्यु का समय पता लगाने के लिए न्यायालयिक कीट विज्ञान सहायक सिद्ध होती है।

फांसी के प्रकरण में आत्महत्या अथवा हत्या में विभेद करने हेतु न्यायालयिक विज्ञान अहम् भूमिका निभाता है। फांसी में प्रयोग में ली गई रस्सी व उसमें किस तरह की गाँठ लगाई गई है आदि महत्त्वपूर्ण सबूत होते हैं। नाक या कान से कहीं खून तो नहीं निकल रहा था? मृतक ने आत्महत्या से पहले उल्टी तो नहीं की? उसके गुप्तांगों से कोई द्रव्य निकलना, मृतक का शरीर अकड़ा या नहीं? आदि जानकारी अन्वेषण अधिकारी के लिये केस को हल करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है।

जलकर मरने वाले प्रकरणों में पहली बार में देखकर यह बता पाना कि यह हत्या है अथवा आत्महत्या बहुत मुश्किल होता है। शव के आस पास स्थित सबूत जैसे कि कैरोसिन/पेट्रोल, उसका पात्र, पात्र पर लगे अंगुलियों के निशान तथा माचिस की तीली आदि महत्त्वपूर्ण होते हैं। यदि कहीं किसी बिल्डिंग/दुकान/घर में आग लगी है तो उसका कारण पता लगाने के लिए कि वह स्वयं लगी है या किसी द्वारा लगाई गई है? आदि मामलों में न्यायालयिक विज्ञान विशेषज्ञ मदद करते हैं।

आग्नेयास्त्र प्रकरण के मामले में घटनास्थल पर मिलने वाले कारतूस के खाली खोखे, छर्रे आदि देख कर बताया जा सकता है कि किस प्रकार के

दिनेश मीणा, पंकज कुमार पाटिल, जय बहादुर सिंह कछावा
हथियार का इस्तेमाल हुआ है? में न्यायालयिक
प्राक्षेपिकी मददगार सिद्ध होती है।

किसी भी जीव जंतु के डी.एन.ए. निकालने अथवा
उसका मिलान करने का काम न्यायालयिक विज्ञान
विशेषज्ञ करता है।

विस्फोटक का प्रकार उसमें इस्तेमाल होने वाले
रसायन की जानकारी प्राप्त करने के लिए
न्यायालयिक विज्ञान विशेषज्ञ सहायता प्रदान
करता है।

नशीले पदार्थ जैसे की अफीम, चरस, गांजा, भांग
तथा नशे के लिए अन्य प्रयोग में लाई जाने वाली
वस्तुओं के बारे में परीक्षण करके न्यायालयिक
विज्ञान विशेषज्ञ बताता है कि वह वस्तु क्या है?

कंप्यूटर न्यायालयिक विज्ञान की मदद से कंप्यूटर,
कंप्यूटर से सम्बंधित तथा इन्टरनेट के द्वारा होने
वाले अपराधों वाले केस को सुलझाने में मदद
मिलती है।

जानवरों की हत्या के बाद उनके शरीर के हिस्से
(उदाहरण के लिए यदि किसी जानवर के सींग,
उसकी खाल, उसके दांत, पंजे-बाल आदि) बेचने
वाले अपराध में भी जानवर की प्रजाति का पता
लगाने में न्यायालयिक विज्ञान का बड़ा योगदान
रहता है।

सुझाव

न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करने के
लिए पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि
विज्ञान/न्यायालयिक विज्ञान से स्नातकोत्तर होनी
चाहिये तथा न्यायालयिक विज्ञान की जिस शाखा
में काम करना है उसमें विशेषज्ञता हासिल होनी
चाहिए, ताकि इस विज्ञान की अधिक गहन समझ
हो।

हर तहसील में एक न्यायालयिक विज्ञान की
प्रयोगशाला होनी चाहिए। न्यायालयिक विज्ञान की
प्रयोगशाला पुलिस थाना के साथ होनी चाहिए
ताकि घटना के समय पुलिस के साथ न्यायालयिक
वैज्ञानिक शीघ्रतिशीघ्र घटनास्थल पर पहुँच सके।

न्यायालयिक विज्ञान दल को अच्छे उपकरण एवं
उच्च स्तरीय प्रयोगशाला उपलब्ध करवाई जानी
चाहिए तथा प्रयोगशाला में प्रत्येक शाखा का एक
वैज्ञानिक जरूर होना चाहिए।

पुलिस अधिकारियों को हर वर्ष न्यायालयिक
विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। समय-
समय पर कार्यशालायें आयोजित की जानी चाहिए
जिसमें आधुनिक तकनीक सिखाई जाये।

निष्कर्ष

न्यायालयिक विज्ञान पुलिस के लिए बहुत उपयोगी
तथा महत्त्वपूर्ण है। यह अन्वेषण अधिकारी को
अपराधिक अन्वेषण में सहायता प्रदान करता है
तथा तफ्तीश को सही दिशा में ले जाने में मदद
करता है। न्यायालयिक विज्ञान पुलिस के द्वारा
जुटाए गए साक्ष्यों को वैज्ञानिक आधार प्रदान
करता है, जिससे साक्ष्यों की न्यायालय में
विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- [1]. मैथिल, बी.पी., मिश्रा राजेश और सत्पथी,
डी.के. (2003). "न्यायालयिक विज्ञान एवं
अपराध अनुसंधान". सेलेक्टिव एंड
साइंटिफिक बुक्स, दिल्ली. ISBN 81-89128-
12-4.
- [2]. शर्मा, जे.डी. (2007) "अपराधों का वैज्ञानिक
अन्वेषण". मध्यप्रदेश ग्रन्थ अकादमी।